

२०/१०/१६

वादी एक वकील वादी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी उपस्थित। वादी पक्ष को आवेज लगवाई गई लेकिन कोर्ट उपस्थित नहीं किया। उपस्थित प्रतिवादी वकील ने इस पर आपकी जगह दूर निकट किया कि दि. ११/११/१५ को तालवान सम्मन अदाकारी के आदेश वादी को दिने गेय लेकिन आदिनाउ तालवान सम्मन अदाकारी किया गया है इन बाद अदम अदाकारी तालवान सम्मन एक न्यायालय आदेश की पालन न करने से खारज किया जाके। पत्रपत्नी मैंने हवलोकन किया। प्रतिवादी वकील का एतराज स्वीकार योग्य है इन बाद वादी अदम वकील मैं खारज किया जाके है जिसल फैसल शुमार होकर नम्बर सि कम है। बाद हफ्तर हाजिर हों।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

